[2023] 1 एस सी आर 949

गजानंद शर्मा

बनाम.

आदर्श शिक्षा परिषद समिति और अन्य ।

सिविल अपील सं.100-101/ 2023

19 जनवरी, 2023

[न्यायमूर्तिगण एम**.** आर**.** शाह और सी**.** टी**.** रविकुमार **]**

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 1989 -एस. 18-सेवा से समाप्ति के लिए, शिक्षा निदेशक की मंजूरी आवश्यक है या नहीं-अपीलीय-कर्मचारी को विभागीय जांच के बाद समाप्त कर दिया गया था-न्यायाधिकरण ने यह मानते हुए और यह मानते हुए कि शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी अनिवार्य यू/एस के रूप में है, समाप्ति के आदेश अपास्त करना कर दिया। 18 अधिनियम, 1989 की धारा प्राप्त नहीं की गई थी-एकल न्यायाधीश ने न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की-उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट अपील की अनुमति दी और न्यायाधिकरण के साथ-साथ एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करना दिया और समाप्ति के आदेश को बरकरार रखा-खंड पीठ ने कहा कि अनुशासनात्मक जांच/कार्यवाही के बाद समाप्ति के मामले में शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है-अपील पर कहा गयाःअधिनियम, 1989 की धारा 18 की सही व्याख्या पर, यह विशेष रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि विभागीय जांच/कार्यवाही करने के बाद किसी परंतुक प्राप्त संस्थान के कर्मचारी को बर्खास्त करने/हटाने के मामले में भी शिक्षा निदेशक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।18 अधिनियम, 1989 का-उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा बर्खास्तगी के आदेश को बहाल करने के लिए पारित विवादित निर्णय और आदेश, जो शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना था, को अपास्त करना दिया गया है-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पुष्टि किए गए बर्खास्तगी के आदेश को अपास्त करनाने वाले न्यायाधिकरण के आदेश को बहाल कर दिया गया है।

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** राज कुमार के मामले में इस न्यायालय का निर्णय उच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी था।इसलिए**,** उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राज कुमार के मामले में इस न्यायालय के फैसले का पालन नहीं करने में गंभीर गलती की है।**[**पैरा **5.1] [957-**बी**]**

2. अधिनियम**, 1989** की धारा **18** को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर भी**,** इस न्यायालय की राय है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के कर्मचारी की बर्खास्तगी के मामले में शिक्षा निदेशक या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त करनी होगी।धारा **18** में**,**

अनुशासनात्मक कार्यवाही/जांच के बाद या अनुशासनात्मक कार्यवाही/जांच के बिना भी बर्खास्तगी, हटाने या रैंक में कमी के बीच कोई अंतर नहीं है।कानून की तय स्थिति के अनुसार क़ानून के प्रावधानों को वैसा ही पढ़ा जाना चाहिए जैसा वे हैं।जोड़ने और लेने के लिए कुछ भी नहीं।उपयोग किए गए शब्द हैं "किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के किसी भी कर्मचारी को बिना कोई जांच किए हटाया नहीं जाएगा और यह आगे प्रावधान करता है कि इस संबंध में कोई अंतिम आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी प्राप्त नहीं हो गई हो।" धारा **18** के पहले परंतुक को पहले परंतुक के साथ पढ़ा जाना है।इन परिस्थितियों में, एक विपरीत दृष्टिकोण रखना कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के कर्मचारी को बर्खास्त करने/हटाने के मामले में, जो विभागीय जांच करने के बाद शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, अस्थिर है और उस हद तक केंद्रीय अकादमी सोसायटी के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ का निर्णय एक अच्छा कानून नहीं है।**[**पैरा **5.5] [959-**बी**-**ई**]**

3. इसलिए, अधिनियम, **1989** की धारा **18** की सही व्याख्या पर, यह विशेष रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि विभागीय जांच/कार्यवाही करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के कर्मचारी को बर्खास्त करने/हटाने के मामले में भी शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी अधिनियम, **1989** की धारा **18** के पहले परंतुक के अनुसार प्राप्त की जानी चाहिए। **[**पैरा **5.6] [959-**ई**-**एफ**]**

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा बर्खास्तगी के आदेश को बहाल करने के लिए पारित विवादित निर्णय और आदेश, जो शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना था, रद्द किए जाने और अलग किए जाने के योग्य है और तदनुसार रद्द कर दिया जाता है और अपास्त करना दिया जाता है।एकल न्यायाधीश द्वारा पुष्टि किए गए समाप्ति के आदेश को रद्द करने वाले न्यायाधिकरण के आदेश को एतद्द्वारा बहाल किया जाता है।नतीजतन, अपीलार्थी को सेवा में बहाल करना होगा और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रत्यर्थी **(**गण **)** गैर**-**सहायता प्राप्त संस्थान है/हैं और समाप्ति का आदेश वर्ष **1998** में पारित किया गया था, यह ए

न्यायालय निर्देश देता है कि अपीलार्थी पिछले वेतन के **50** प्रतिशत का हकदार होगा, हालांकि, वह वरिष्ठता आदि, यदि कोई हो, सहित अन्य सभी लाभों का हकदार होगा।**[**पैरा **6] [959-**एफ**-**एच**; 960-**ए**]**

राज कुमार बनाम शिक्षा निदेशक और अन्य। **(2016) 6**

एससीसी **541:[2016] 1** एस**.** सी**.** आर**. 697-**निर्भर।

केंद्रीय अकादमी सोसायटी बनाम राजस्थान गैर-सरकारी। शैक्षिक संस्थागत न्यायाधिकरण (2010) 3 डब्ल्यू. एल. सी. 21 -

अच्छा कानून नहीं था।

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम। कर्नाटक राज्य **(2002) 8**

एससीसी 481:[2002] 3 सप.एस. सी. आर. 587; मारवाड़ी बालिका विद्यालय बनाम आशा श्रीवास्तव **(2020) 14** एससीसी **449:[2019] 2** एससीआर **722;** मंगल सैन जैन बनाम। प्राचार्य बलवंत मेहता विद्या भवन और अन्य। **[**डब्ल्यू. पी. **(**ग**)** नहीं।

3415/2020 दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया**]-**संदर्भित।

मंगल सैन जैन बनाम प्राचार्य बलवंत मेहता विद्या

भवन और ओआरएस। [डब्ल्यू. पी. (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय संख्या 3415/2020-निर्दिष्ट।

संदर्भित निर्णय

[2016] 1 एस. सी. आर. **697** पैरा **2,1.1,5,2,5 [2002] 3** सप पर निर्भर था। एस. सी. आर. **587** पैरा **2.1,5.1,5.4 [2019] 2** एस. सी. आर. **722** पैरा **5.4** में संदर्भित है।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2023 की सिविल अपील Nos.100-101।

राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 06.05.2022 से, 2005 के डी. बी. विशेष अपील रिट No.1077 और 2011 के डी. बी. विशेष अपील रिट No.826 में जयपुर की पीठ। प्रदीप अग्रवाल, लाल प्रताप सिंह, उमेश प्रताप सिंह, अर्जुन अग्रवाल, भास्कर आदित्य, विशाल सिंह, सुश्री रुचि कोहली, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

निखिल सिंघवी, सुश्री श्रद्धा देशमुख, बिलाल इकराम, शिखर किशोर, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय एम. आर. शाह**,** जे. द्वारा दिया गया था

1. डी. बी. प्रबंधन द्वारा दायर विशेष अपील रिट संख्या (आई. डी. 4) और (आई. डी. 3) (कर्मचारी द्वारा दायर) में जयपुर में राजस्थान पीठ के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश दिनांक (आई. डी. 2) से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने प्रत्यर्थी (गण) द्वारा यहां दायर अपील को अनुमति दी है-प्रबंधन और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश अपास्त करना कर दिया है और विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश अपास्त करना कर दिया है और दिनांकित (आई. डी. 1) समाप्ति के आदेश अपास्त करना कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप उसी को बरकरार रखा है, कर्मचारी ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैंः-

2.1 कि इसमें अपीलार्थी -कर्मचारी प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के साथ सेवा कर रहा था।उनके खिलाफ राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 1989 (इसके बाद अधिनियम,

1989 के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के तहत एक अनुशासनात्मक जांच शुरू की गई थी।कि इसके बाद अपीलार्थी की विभागीय जांच सेवाओं को समाप्त कर दिया गया जो विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती का विषय था।न्यायाधिकरण ने बर्खास्तगी के आदेश को यह कहते हुए अपास्त करना दिया कि अधिनियम, 1989 की धारा 18 के तहत अनिवार्य रूप से शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी।विद्वान एकल न्यायाधीश ने विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की।विवादित निर्णय और आदेश द्वारा और इस तथ्य के बावजूद कि राज कुमार बनाम निदेशक के मामले में इस न्यायालय का निर्णय शिक्षा और अन्य, (2016) 6 एस. सी. सी. 541 समान सामग्री से संबंधित है।

दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम (इसके बाद डी. एस. ई. अधिनियम के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों में यह विचार रखते हुए कि किसी कर्मचारी की बर्खास्तगी से पहले शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी अनिवार्य और आवश्यक है, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राज कुमार (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का गलत तरीके से पालन नहीं किया है कि राज कुमार (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय ने विचार नहीं किया था।

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम के मामले में पहले का निर्णय। की स्थिति

कर्नाटक**; (2002) 8** एससीसी **481**।कि उसके बाद**,** केंद्रीय मामले में उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ के फैसले का पालन करने के बाद

अकादमी सोसायटी बनाम राजस्थान गैर**-**सरकारी। शैक्षिक संस्थागत न्यायाधिकरण; (2010) 3 डब्ल्यू. एल. सी. 21 धारा 18 को पढ़कर

अधिनियम, 1989 में कहा गया है कि अनुशासनात्मक जांच/कार्यवाही के बाद समाप्ति के मामले में शिक्षा निदेशक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट अपील को स्वीकार कर लिया है और विद्वान न्यायाधिकरण के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करना दिया है और समाप्ति के आदेश को बरकरार रखा है।कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश वर्तमान अपीलों में से एक का विषय है।इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि लेटर पेटेंट अपील (डी. बी. स्पेशल रिट अपील) संख्या 826/2011 विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का विषय था जो समान काम के लिए समान वेतन के लिए अपीलार्थी के मामले को अस्वीकार करता था।हालाँकि, चूंकि समाप्ति आदेश को बरकरार रखा गया था, उसके बाद, अपील के गुण-दोष में आगे प्रवेश किए बिना, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त अपील को खारिज कर दिया है, जो वर्तमान अपीलों में से एक का विषय भी है।

3. अब जहाँ तक विद्वत न्यायाधिकरण और विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करने और रद्द करने के आदेश को बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश का संबंध है, अपीलार्थी -कर्मचारी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत विद्वान जाता है कि उच्च न्यायालय ने राज कुमार (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय का पालन नहीं करने में भौतिक रूप से गलती की है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि अनुमेय नहीं है, यह देखते हुए और

अभिनिर्धारित करते हुए कि राज कुमार (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राज कुमार (उपर्युक्त) के मामले में इस आधार पर निर्णय का पालन नहीं किया है कि राज कुमार (उपर्युक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय पर विचार नहीं किया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यात्मक रूप से गलत है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज कुमार (ऊपर) के मामले में निर्णय और आदेश पारित करते समय इस न्यायालय ने टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) (पैराग्राफ 13,42,43,47,50-52,61 और 64).यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय का पालन नहीं करने में गंभीर गलती की है

राज कुमार (ऊपर) का मामला।

3.1 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज कुमार (उपरोक्त) के मामले में डी. एस. ई. के समान सामग्री प्रावधानों पर विचार करते समय और उन पर विचार करते समय अधिनियम, अर्थात् डी. एस. ई. अधिनियम की धारा 8, इस न्यायालय ने विशेष रूप से यह मत व्यक्त किया है और अभिनिर्धारित किया है कि किसी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान के मामले में भी किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने से पहले, शिक्षा निदेशक का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है।अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा अभिनिर्धारित करते समय इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय पर विचार किया:

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) के मामले में यह न्यायालय।इसे प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राज कुमार (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के विपरीत दृष्टिकोण रखने में भौतिक रूप से गलती की है और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने केंद्रीय अकादमी सोसायटी (उपरोक्त) के मामले में बड़ी पीठ के निर्णय/निर्णय पर भरोसा करने में भौतिक रूप से गलती की है और यह विचार रखते हुए कि अनुशासनिक कार्यवाही/जांच के बाद समाप्ति के मामले में, शिक्षा निदेशक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता वाली धारा 18 लागू नहीं होगी।

3.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि मारवाड़ी बालिका के मामले में भी विद्यालय बनाम आशा श्रीवास्तव; (2020) 14 एस. सी. सी. 449 निम्नलिखित के बाद

राज कुमार (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने/बर्खास्त करने से पहले शिक्षा निर्देश का पूर्व अनुमोदन आवश्यक/अनिवार्य है।

3.3 अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज कुमार (उपरोक्त) के मामले में निर्णय का बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अनुसरण किया गया है।

मंगल सैन जैन बनाम। प्राचार्य बलवंत मेहता विद्या भवन

& ओआरएस। [डब्ल्यू. पी. (ग) नं. 3415/2020] जिसके विरुद्ध प्रबंधन द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय द्वारा प्राचार्य बलवंत मेहता विद्या भवन बनाम के मामले में खारिज कर दिया गया है। मंगल जैन ने 11.01.2021 दिनांकित आदेश का अवलोकन किया।इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए बर्खास्तगी के आदेश को बहाल करने में भौतिक रूप से गलती की है कि गैर-सहायता प्राप्त संस्थान के मामले में और ऐसे मामले में जहां बर्खास्तगी अनुशासनात्मक जांच/कार्यवाही के बाद होती है, शिक्षा निदेशक का पूर्व अनुमोदन अनिवार्य नहीं है।3.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और राज कुमार (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपीलों को अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है।

4. प्रबंधन-प्रत्यर्थी (ओं) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्तमान अपीलों का जोरदार प्रत्यर्थी (गण) किया जाता है।

4.1 प्रबंधन की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय का निर्णय

राज कुमार (ऊपर) और टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) का मामला

यह मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा क्योंकि उपरोक्त निर्णयों में यह कोई अनुशासनात्मक जांच/विभागीय कार्यवाही किए बिना समाप्त करने का मामला था।राज कुमार (उपरोक्त) के मामले में यह न्यायालय डी. एस. ई. अधिनियम की धारा 8 पर विचार कर रहा था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में बर्खास्तगी का आदेश विभागीय जांच के बाद और सभी आरोपों और कदाचार के साबित होने के बाद पारित किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अधिनियम, 1989 की धारा 18 का पहला भाग लागू नहीं होगा।

4.2 प्रबंधन की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने केंद्रीय अकादमी सोसायटी (उपरोक्त) के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ ने अधिनियम, 1989 की धारा 18 के प्रावधान पर विचार किया है और/या उस पर विचार किया है और टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (उपरोक्त) के मामले में निर्णय पर विचार करने के बाद उसे पढ़ा है और कहा है कि विभागीय जांच/कार्यवाही के बाद किसी कर्मचारी को बर्खास्त करने के मामले में, अधिनियम, 1989 की धारा 18 लागू नहीं होगी और शिक्षा निदेशक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

डी.

4.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा वर्तमान मामले में, बर्खास्तगी के आदेश को इस आधार पर अपास्त करनाने की आवश्यकता नहीं है कि शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी क्योंकि अनुशासन समिति में जिला शिक्षा अधिकारी शामिल थे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि समिति, जिसमें से जिला शिक्षा अधिकारी का एक नामित सदस्य था, ने सभी आरोपों को माना और कथित कदाचार साबित हुआ।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी के खिलाफ साबित हुए आरोप और कदाचार स्कूल के प्राचार्य को गाली देने, दुर्व्यवहार करने और धमकी देने, स्कूल के धन

का गबन करने और स्कूल की संपत्ति को संभालने में लापरवाही करने के बहुत गंभीर थे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब अनुशासन समिति में जिला शिक्षा अधिकारी का कोई नामित सदस्य होता है, तो शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना भी बर्खास्तगी के आदेश को अपास्त करनाने की आवश्यकता नहीं होती है।

4.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

5. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि और यह एक स्वीकृत स्थिति है कि दलों को राजस्थान गैर-सरकारी द्वारा शासित किया जाता है।

शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 1989।धारा 18 में प्रावधान है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के किसी भी कर्मचारी को तब तक पद से नहीं हटाया जाएगा, बर्खास्त नहीं किया जाएगा या पद से हटाया नहीं जाएगा जब तक कि उसे प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो और इस संबंध में कोई अंतिम आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त नहीं हो गई हो।विद्वत न्यायाधिकरण ने अधिनियम, 1989 की धारा 18 का पालन न करने पर समाप्ति के आदेश अपास्त करना कर दिया क्योंकि अपीलार्थी की सेवाओं को समाप्त करने से पहले-शिक्षा निदेशक से कर्मचारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की विद्वान थी।विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इसकी पुष्टि की गई, हालांकि, विवादित निर्णय और आदेश द्वारा इसके विपरीत दृष्टिकोण रखते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपील को स्वीकार कर लिया है और समाप्ति के आदेश को बहाल कर दिया है।

5.1 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष राज कुमार (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को एक विपरीत दृष्टिकोण लेते हुए और यह विचार रखते हुए कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने से पहले शिक्षा निदेशक की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, सेवा में लगाया गया था।हालाँकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह कहते हुए उक्त बाध्यकारी निर्णय का पालन नहीं किया है कि राज कुमार (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार नहीं किया था।इस तथ्य के अलावा कि यह उच्च न्यायालय के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य है, यहां तक कि उक्त टिप्पणियां भी तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।यदि राज कुमार (ऊपर) के मामले में निर्णय 8-9 से अधिक पैराग्राफ में देखा जाता है, तो इस न्यायालय ने टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया था और इस तरह से उस पर विचार किया था।यहाँ तक कि टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) के मामले में निर्णय को राज कुमार (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा समझाया और विचार किया गया था।इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह टिप्पणी करना तथ्यात्मक रूप से गलत है कि राज कुमार (ऊपर) के मामले में निर्णय लेते समय इस न्यायालय ने टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार नहीं किया था। राज कुमार (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी करने से पहले उच्च न्यायालय की खंड पीठ को राज कुमार (ऊपर) के मामले में निर्णय को अच्छी तरह से पढ़ना और/या विचार

करना चाहिए था।यह गलत टिप्पणी करने के बाद भी कि राज कुमार (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने टी. एम. ए. पाई ए. के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर विचार नहीं किया था।

फाउंडेशन (ऊपर) उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने न्यायिक अनुशासन के कुछ निर्णयों पर विचार किया है जो बिल्कुल भी लागू नहीं थे।न्यायिक अनुशासन के लिए यह भी आवश्यक है कि इस न्यायालय के निर्णय पर विचार किया जाए और उसे अच्छी तरह से पढ़ा जाए।जैसा कि ऊपर देखा गया है, राज कुमार (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय उच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी था।इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने राज कुमार (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का पालन नहीं करने में गंभीर गलती की है।

5.2 अब जहाँ तक राज कुमार **(**उपरोक्त**)** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संबंध है**,** यह न्यायालय डी**.** एस**.** ई**.** अधिनियम के तहत समान सामग्री प्रावधानों पर विचार कर रहा था। यह न्यायालय डी**.** एस**.** ई**.** अधिनियम की धारा **8** पर विचार कर रहा था**,** जो इस प्रकार हैः**-**

“8. (2) इस संबंध में बनाए जाने वाले किसी भी नियम के अधीन रहते हुए, किसी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा या रैंक में कम नहीं किया जाएगा और न ही निदेशक के पूर्व अनुमोदन के अलावा उसकी सेवा को अन्यथा समाप्त किया जाएगा।” 5.3 जहाँ तक अधिनियम, 1989 की धारा 18 का संबंध है, वही प्रावधान है जो निम्नानुसार हैः-

“18. कर्मचारियों को हटाना, बर्खास्त करना या उनके पद में कमी करना।- इस संबंध में बनाए जाने वाले किसी भी नियम के अधीन रहते हुए, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के किसी भी कर्मचारी को तब तक पद से नहीं हटाया जाएगा, बर्खास्त नहीं किया जाएगा या पद से हटाया नहीं जाएगा जब तक कि उसे प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया हो; बशर्ते कि इस संबंध में कोई अंतिम आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि शिक्षा निदेशक या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजूरी प्राप्त न हो गई हो।”

5.4 राज कुमार (उपर्युक्त) के मामले में डी. एस. ई. अधिनियम के तहत समान सामग्री के प्रावधान पर विचार करते समय और टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से यह माना और अभिनिर्धारित किया जाता है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के मामले में, किसी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने से पहले, शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा लिया गया एक विपरीत दृष्टिकोण एक अच्छा कानून नहीं है।यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि राज कुमार (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर इस न्यायालय द्वारा मारवाड़ी बालिका विद्यालय (उपर्युक्त) के मामले में विचार किया गया है।

और मंगल सैन जैन के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी

(ऊपर)।मारवाड़ी बालिका विद्यालय (ऊपर) के मामले में यह न्यायालय राज कुमार (ऊपर) के मामले में निर्णय और पैराग्राफ 13 और 14 में डी. एस. ई. अधिनियम की धारा 8 के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार किया गयाः-

“13. राज कुमार बनाम शिक्षा निदेशक में [राज कुमार बनाम शिक्षा निदेशक, (2016) 6 एससीसी 541:(2016) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 111] इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1973 की धारा 8 (2) कर्मचारी के पक्ष में एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना बर्खास्तगी या बर्खास्तगी का आदेश पारित नहीं किया गया है ताकि मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के कर्मचारी की मनमानी या अनुचित बर्खास्तगी/बर्खास्तगी से बचा जा सके।इसके अलावा, इस न्यायालय ने दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 के उद्देश्यों और कारणों पर भी विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना एक निजी स्कूल के चालक की सेवा की समाप्ति कानून में गलत थी।इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः(एस. सी. सी. पी. 560, पैरा 45)

“45. हम प्रत्यर्थी स्कूल की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क से सहमत होने में असमर्थ हैं।डी. एस. ई. अधिनियम की धारा 8 (2) एक कर्मचारी के पक्ष में एक प्रक्रियात्मक सुरक्षा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना बर्खास्तगी या बर्खास्तगी का आदेश पारित नहीं किया गया है।यह किसी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय के कर्मचारी की मनमाने ढंग से या अनुचित बर्खास्तगी या बर्खास्तगी से बचने के लिए है।”

14. इस न्यायालय ने राज कुमार बनाम निदेशक के मामले में निर्धारित किया है।

शिक्षा [राज कुमार बनाम शिक्षा निदेशक, (2016) 6 एससीसी 541 :(2016) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 111] ने कहा कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 (संक्षेप में "डी. एस. ई. अधिनियम") को लागू करते समय विधायिका का इरादा स्कूल के कर्मचारियों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करना और उनके रोजगार के नियमों और शर्तों को विनियमित करना था।जबकि सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त दोनों शैक्षणिक संस्थानों का कामकाज अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए, इन संस्थानों के कर्मचारियों के रोजगार की शर्तों के साथ सामंजस्य स्थापित करने और उनके हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त सावधानियों का प्रावधान करने की आवश्यकता है।डी. एस. ई. अधिनियम की धारा 8 (2) ऐसी ही एक एहतियाती सुरक्षा है जिसका पालन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों को प्रबंधन के हाथों अनुचित व्यवहार का सामना न करना पड़े।”

5.5 अधिनियम, 1989 की धारा 18 को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर भी, हमारी राय है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के कर्मचारी की बर्खास्तगी के मामले में शिक्षा निदेशक या उनके द्वारा इस संबंध में अधिकृत अधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।धारा 18 में, अनुशासनात्मक कार्यवाही/जांच के बाद या अनुशासनात्मक कार्यवाही/जांच के बिना भी बर्खास्तगी, हटाने या रैंक में कमी के बीच कोई अंतर नहीं है।कानून की तय स्थिति के अनुसार क़ानून के प्रावधानों को वैसा ही पढ़ा जाना चाहिए जैसा वे हैं।जोड़ने और लेने के लिए कुछ भी नहीं।उपयोग किए गए शब्द हैं "किसी

मान्यता प्राप्त संस्थान के किसी भी कर्मचारी को बिना कोई जांच किए हटाया नहीं जाएगा और यह आगे प्रावधान करता है कि इस संबंध में कोई अंतिम आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी प्राप्त नहीं हो गई हो।" धारा 18 के पहले परंतुक को पहले परंतुक के साथ पढ़ा जाना है।इन परिस्थितियों में, एक विपरीत दृष्टिकोण रखना कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के कर्मचारी को बर्खास्त करने/हटाने के मामले में, जो विभागीय जांच करने के बाद शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, अस्थिर है और उस हद तक केंद्रीय अकादमी सोसायटी (उपरोक्त) के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ का निर्णय एक अच्छा कानून नहीं है।

5.6 इसलिए, अधिनियम, 1989 की धारा 18 की सही व्याख्या पर, यह विशेष रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि विभागीय जांच/कार्यवाही करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के कर्मचारी को बर्खास्त करने/हटाने के मामले में भी शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी अधिनियम, 1989 की धारा 18 के पहले परंतुक के अनुसार प्राप्त की जानी चाहिए।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा बर्खास्तगी के आदेश को बहाल करने के लिए पारित विवादित निर्णय और आदेश, जो शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना था, रद्द किए जाने और अलग किए जाने के योग्य है और तदनुसार रद्द कर दिया जाता है और अपास्त करना दिया जाता है।विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पुष्टि किए गए समाप्ति के आदेश को रद्द करने वाले विद्वत न्यायाधिकरण के आदेश को एतद्द्वारा बहाल विद्वान जाता है।नतीजतन, अपीलार्थी को सेवा में बहाल करना होगा और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रत्यर्थी (गण) गैर-सहायता प्राप्त संस्थान हैं और समाप्ति का आदेश वर्ष 1998 में पारित किया गया था, हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी पिछले वेतन के 50 प्रतिशत का हकदार होगा, हालाँकि, वह वरिष्ठता आदि, यदि कोई हो, सहित अन्य सभी लाभों का हकदार होगा।

6.1 डी. बी. विशेष अपील रिट सं. 1077/2005 में पारित विवादित निर्णय और आदेश से उत्पन्न सिविल अपील सं. 100/2023 को एतद्द्वारा उपरोक्त सीमा के अनुसार अनुमति दी जाती है।

6.2 अब जहाँ तक डी. बी. विशेष अपील रिट सं. 826/2011 में पारित विवादित निर्णय और आदेश से उत्पन्न सिविल अपील सं. 101/2023 का संबंध है, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने समाप्ति के आदेश को बरकरार रखते हुए उक्त अपील पर गुण-दोष के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए, हम डी. बी. विशेष अपील रिट संख्या 826/2011 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करना देते हैं और कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेज देते हैं।

दोनों अपीलों को तदनुसार उपरोक्त सीमा तक और उपरोक्त के संदर्भ में अनुमति दी जाती है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः अभिषेक प्रताप सिंह, एलसीआरए)